

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 1081 सन 2020

अनगान :-

1. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र रणजीत जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

बनाम

वादी

1. रणजीत पुत्र आदराम जात जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. प्रेमलता पत्नि विजय कुमार जाति जाट साकिन परलीका तहसील नोहर।
3. पंकज पुत्र विजय कुमार नाबालिग जरिये सरंक्षिका माता प्रेमलता पत्नी विजय कुमार जाति जाट साकिन परलीका तहसील नोहर।
4. शान्तू पुत्री विजय कुमार नाबालिग जरिये सरंक्षिका माता प्रेमलता पत्नी विजय कुमार जाति जाट साकिन परलीका तहसील नोहर।
5. पार्वती पुत्री रणजीत जाति जाट साकिन परलीका तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री मागेराम गोदारा अधिवक्ता वादी

पेशकार राज

निर्णय दिनांक :- 01/01/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 20 डीपीएन के खाता संख्या 149 / 150 की कुल 4.8070हैव में से 1/5 हिस्सा रोही मौजा चक 12 बारानी के खाता संख्या 16.6980हैव में से 1/5 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा आदराम वल्द बेगाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा आदराम वल्द बेगाराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा आदराम वल्द बेगाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 5 वादी की वहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 5 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तवा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तालव किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को रवीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या

उपखण्ड अधिकारी

नोहर

1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता आदराम वल्द बेगाराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल भिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 6 परोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल भिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 20 डीपीएन के खाता संख्या 149/150 की कुल 4.8070हैव में से 1/5 हिस्सा रोही मौजा चक 12 बारानी के खाता संख्या 16.6980हैव में से 1/5 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा आदराम वल्द बेगाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा आदराम वल्द बेगाराम के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा आदराम वल्द बेगाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 5 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 5 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काशतकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 20 डीपीएन के खाता संख्या 149/150 की कुल 4.8070हैव में से 1/5 हिस्सा रोही मौजा चक 12 बारानी के खाता संख्या 16.6980हैव में से 1/5 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

पर्चा खतौनी के अनुसार वाद भूमि आदराम वल्द बेगाराम के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा आदराम वल्द बेगाराम के नाम से दर्ज है वादी के दादा आदराम वल्द बेगाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरास्तन से भूमि वादी के पिता के नाम


से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पत्ति होना साबित है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6, 8 के अनुसार पैतृक सम्पत्ति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात् दादा की सम्पत्ति में पौते / पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात् वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 5 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 5 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चर्या होते हैं के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिफ्री है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेशेकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिफ्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 20 डीपीएन के खाता संख्या 149/150 की कुल 4.8070 हैक्ट मे से 1/5 हिस्सा रोही मौजा चक 12 बरानी के खाता संख्या 16.6980 हैक्ट में से 1/5 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/15 हिस्सा वादी अकला 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का 1/15 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलगन 5000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिफ्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीब तकमील जाबा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01/01/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़ जिला)

सत्यमेव जयते

पर्व दिवसी

(आईर 20, रूल 6-7 जाब्ला दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र रणजीत जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।

बनाम

वादी

1. रणजीत पुत्र आदराम जात जाट निवासी परलीका तहसील नोहर ।
2. प्रेमलता पुत्री विजय कुमार जाति जाट साकिन परलीका तहसील नोहर ।
3. पंकज पुत्र विजय कुमार नाबालिग जरिये सरंक्षिका माता प्रेमलता पत्नी विजय कुमार जाति जाट साकिन परलीका तहसील नोहर ।
4. शान्तू पुत्री विजय कुमार नाबालिग जरिये सरंक्षिका माता प्रेमलता पत्नी विजय कुमार जाति जाट साकिन परलीका तहसील नोहर ।
5. पार्वती पुत्री रणजीत जाति जाट साकिन परलीका तहसील नोहर ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ ।


प्रतिवादीगण,

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1081 सन 2020 निर्णय दिनांक- 01/01/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेशेकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटरे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 20 डीपीएन के खाता संख्या 149/150 की कुल 4.8070हैक्टर में से 1/5 हिस्सा रोही मौजा चक 12 वारानी के खाता संख्या 166980हैक्टर में से 1/5 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/15 हिस्सा वादी अकला 1/15 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का 1/15 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलन 50000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्व दिवसी आज दिनांक 01/01/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

संशोधित पर्चा डिक्री

(आईर 20, रूल 6-7 जाब्दा दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र रणजीत जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

बनाम

वादी

1. रणजीत पुत्र आदराम जात जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. प्रेमलता पत्नि विजय कुमार जाति जाट साकिन परलीका तहसील नोहर।
3. पंकज पुत्र विजय कुमार नाबालिग जरिये सरंक्षिका माता प्रेमलता पत्नी विजय कुमार जाति जाट साकिन परलीका तहसील नोहर।
4. शान्तनू पुत्री विजय कुमार नाबालिग जरिये सरंक्षिका माता प्रेमलता पत्नी विजय कुमार जाति जाट साकिन परलीका तहसील नोहर।
5. पार्वती पुत्री रणजीत जाति जाट साकिन परलीका तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1081 सन 2020 निर्णय दिनांक- 05/01/2021

आज यह प्रार्थना पत्र 151-152 सीपीसी मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेशेकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 20 डीपीएन के खाता संख्या 149 / 150 की कुल 4.8070हैव मे से 1 / 5 हिस्सा रोही मौजा चक 12 बरानी के खाता संख्या 16.6980हैव में से 1 / 5 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है में प्रतिवादी संख्या 1 का 1 / 15 हिस्सा वादी अकला 1 / 15 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का 1 / 15 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलगन 5000 / - रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। संशोधित पर्चा डिक्री आज दिनांक 05/1/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ़)

संशोधित पर्व डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6-7 जावा दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र रणजीत जाति जाट निवासी परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. रणजीत पुत्र आदराम जात जाट निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. प्रेमलता पत्नि विजय कुमार जाति जाट साकिन परलीका तहसील नोहर।
3. पंकज पुत्र विजय कुमार नाबालिग जरिये सरक्षिका माता प्रेमलता पत्नी विजय कुमार जाति जाट साकिन परलीका तहसील नोहर।
4. शान्तनू पुत्र विजय कुमार नाबालिग जरिये सरक्षिका माता प्रेमलता पत्नी विजय कुमार जाति जाट साकिन परलीका तहसील नोहर।
5. पार्वती पुत्री रणजीत जाति जाट साकिन परलीका तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1081 सन 2020 निर्णय दिनांक-11/01/2021

आज यह प्रार्थना पत्र 151-152 सीपीसी मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के सम्मक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेशेकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 20 डीपीएन के खाता संख्या 149/150 की कुल 4.8070हैक्टर में से 1/5 हिस्सा रोही मौजा चक 12 बरानी के खाता संख्या 16.6980हैक्टर में से 1/5 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/15 हिस्सा वादी अकला 1/15 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 का 1/15 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलरन 50000/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे।

संशोधित पर्व डिक्री आज दिनांक 13/01/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)